न्यायालय :– अपर सैशन न्यायाधीश, दूदू, जिला–जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– संदीप आनन्द, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत आवेदन संख्या : **516/2022**

1. राकेश पुत्र कैलाश सैन, निवासी सवाईजयसिंहपुरा, थाना बगरू, जिला जयपुर राज0
2. मदन पुत्र मोहनलाल वर्मा, निवासी झरना, थाना मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0

––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, दूदू, जिला जयपुर

––अप्रार्थी

जमानत आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं.
एफ.आई.आर. नम्बर 106/2022, थाना मौजमाबाद
अपराध अन्तर्गत धारा 332, 353 भा.दं.सं.

उपस्थिति :–
1. श्री रामसिंह बरड़वाल, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थीगण/अभियुक्तगण
2. श्री त्रिलोकेश सिंह, अपर लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य।

आदेश

दिनांक : 12 दिसम्बर, 2022

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण राकेश व मदन की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई, जिन्होंने केस डायरी प्रस्तुत की।

2. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.04.2022 को जगदीश प्रसाद सउनि चौकी भन्धे बालाजी मुख्यालय महलां पुलिस थाना मौजमाबाद ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 01.04.2022 को समय 9:30 पी.एम. पर पुलिस चौकी महलां में अंदर कमरे में राजकार्य कर रहा था तथा बगरू से प्रकरण संख्या 99/22 में परिवादी विनोद सोनी व राजू खान व अन्य दो आदमी उनके साथ आए हुए थे वो भी चौकी पर ही बैठे थे तथा कानि. रामनिवास 1926 व महेश कानि. 1883 भी चौकी पर थे इतनी ही देर में एक गाड़ी स्कॉरपियो नंबर आरजे–14–यूजी–6911 को एक व्यक्ति जोरदार स्पीड से लाकर चौकी के चबूतरे पर

मारी और गाली गलौज करते हुए कहने लगा कि चौकी पर सउनि कौन है उसकी ऐसी–तेसी करने आया हूं। उसके दो आदमी और राकेश नाई व मदन वर्मा भी साथ आये और कहने लगा कि वह पूर्व में भी 302 में जेल जा चुका है, उसका नाम जगदीश पुत्र लक्ष्मण जाट है और गाड़ी स्कॉरपियो से उतरकर अंदर कमरे में आकर गाली गलौच करते हुए उसकी बनियान के लुम गया जिससे बनियान फट गई तथा मारपीट से छाती गले व बगल में चोटें आयी हैं। उक्त आदमी को इन लोगों ने काफी समझाइश की फिर भी जगदीश जाट किसी की नहीं माना और कहने लगा गया कि उसके झरना ठेका पर किसी की जाने की हिम्मत कैसे हो गई। उसने कहा कि 31.03.2022 के बाद झरना ठेका किसी के पास है ही नहीं, वे तो गस्त करने थानाधिकारी के आदेश से गए थे। फिर भी नहीं मानी और राजकार्य में बाधा पहुंचाई चौक पर मौजूद कानि. व आये हुए लोगों ने बीच बचाव नहीं करते तो और ज्यादा हानि पहुंचाता जिसको जाप्ते ने ही मौजूद लोगों ने ही रोका था, जगदीश के साथ आये मदन व राकेश मौके से भाग गये थे, आदि.....।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र मौजमाबाद द्वारा अभियोग क्रमांक 106/2022 अन्तर्गत धारा 332, 353 भा.दं.सं. पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरम्भ किया गया एवं अनुसंधान के दौरान प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दिनांक 21.11.2022 को गिरफ्तार किया जाकर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संबंधित न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित करने पर प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के द्वारा एक जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 437 दं.प्र.सं. विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूदू द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.12.2022 द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया गया, जिस पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया।

4. प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण ने निवेदन किया कि उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। वह लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। सह अभियुक्त जगदीश की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में उनका प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे।

5. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया

जावे।

6. हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी में संग्लन आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त मदन के विरूद्ध कोई मुकदमा पूर्व से दर्ज नहीं है एवं मुल्जिम राकेश के विरूद्ध पूर्व से एक मुकदमा संख्या 93/20 अंतर्गत धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता में पुलिस थाना बगरू पर दर्ज है। मुकामी पुलिस द्वारा अब तक के अनुसंधान से प्रार्थीगण/ अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 332, 353, 34 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित माना है। सह अभियुक्त जगदीश उर्फ जग्गा की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एकल पीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 5489/22 में पारित आदेश दिनांकित 08.04.2022 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रकरण सह अभियुक्त जगदीश उर्फ जग्गा के प्रकरण से भिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्व ारा पारित न्यायिक दृष्टांत खेत सिंह वगैरह बनाम राजस्थान राज्य एकल पीठ दांडिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 861/21 दिनांकित 25 जनवरी, 2021 में पारित सिद्धांतों की रोशनी में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

7. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 1. राकेश पुत्र कैलाश सैन, निवासी सवाईजयसिंहपुरा, थाना बगरू, जिला जयपुर राज. 2. मदन पुत्र मोहनलाल वर्मा, निवासी झरना, थाना मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0 के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. स्वीकार कर यह आदेशित किया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त अपनी नियमित उपस्थिति बाबत 25,000–25,000 हजार रूपये की दो जमानत व 50,000/– हजार का स्वयं का मुचलका प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित रहने बाबत विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टिप्रद प्रस्तुत कर प्रमाणित करवा दे तो उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 106/2022 पुलिस थाना मौजमाबाद, जिला जयपुर के प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(संदीप आनन्द)
अपर सैशन न्यायाधीश,
दूदू, जिला जयपुर

8. आदेश आज दिनांक **12 दिसम्बर, 2022** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संदीप आनन्द)
अपर सैशन न्यायाधीश,
दूदू, जिला जयपुर